संख्या-28/2015/994/71-2-15-एस-9/2011

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत संस्थान में इमरजेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-412/71-2-15-एस-9/2011 दिनांक 26 फरवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान में इमरजेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत वृहत् निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 10,18,42,000/- (रूपया दस करोड अठारह लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजना के लिए नहीं किया जायेगा अर्थात व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।
3. वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5. प्रायोजना से सम्बन्धित निर्गत उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-12457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-28/2015/994(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।